

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल
तात्कालीन भवन, भोपाल - 462004
=====

क्रमांक- एफ 73- 43/20-3/200 9

भोपाल, दिनांक -

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रति विहार, नई दिल्ली।

विषय :- ^{सेवा} अनासकीय ^{सेवा} बोम्ब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन्डोर, मध्य प्रदेश
को सी. पी. एल. ई. / आर्ट्स. सी. एल. ई. से सम्बन्धता हेतु स्न.ओ. सी.
देने बाबत।

== 00 ==

^{सेवा} राज्य शासन द्वारा अनासकीय ^{सेवा} बोम्ब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन्डोर,
को सी. पी. एल. ई. / आर्ट्स. सी. एल. ई. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनासकीय
प्रभाव पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी
को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा ऐसे
प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के जिलेयक सूपरिशासक को
या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है।
02. नीतिगत विषयों में इन दोनों मनीमोत सदस्यों को आमंत्रित करना
होगा।
03. मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों
में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों
को संस्था को करना होगा।
04. खेसकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है।
परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
को इनके क्विती खेस परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो
उपलब्ध कराना होगा।

निरन्तर 2 पर.....

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को रूपांतरित करने के लिए यदि संस्था या
अवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें
उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
लथा आदेशानुसार

§ आर. अर. अदिरवार §
अवर सचिव
मोप्रो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

पृ. क्र. हफ 73 - 43 / 20-2/2005 भोपाल, दिनांक - 29/6/05

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, मोप्रो भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - दमोह, मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य, अना ^{सर्वो} जॉन्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह, मध्यप्रदेश।
की ओर सहायक एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपरोक्त।

अवर सचिव

मोप्रो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

//मान३र//
30.12.04

Sm. Sophy
PRINCIPAL
ST. JOHN'S SR. SEC. SCHOOL
JABALPUR NAKA, DAMOH